राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1861/2022	भारत सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहुआ कुम्हेर, जिला भरतपुर।
2.	1861/2022	पुरूषोत्तम सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुल्हेरा, डीग, जिला भरतपुर।
3.	1863/2022	छोटे लाल मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उमरेह, तहसील बारी, जिला धौलपुर।
4.	1864/2022	कल्याण सिंह मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोठियापुर, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर।

आदेश की दिनांक : 26.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 1861/2022 भरत

सिंह की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी भरत सिंह की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नवम्बर, 1992 में हुई थी। वर्ष 1997 में अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 01.05.2003 के द्वारा दिनांक 13.11.2002 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 23.03.2011 के द्वारा दिनांक 13.11.2010 से दिया गया। अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 13.11.2019 से देय है। अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी योग्यता दिनांक 05.07.2013 के आधार पर 5400 ग्रेड–पे में फिक्सेशन करने का अधिकारी है।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9,18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय होकर अधिक भुगतान वसूली योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ 14(88) एफ.डी. रूल्स/2008 I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या–7 के प्रावधानों के अन्तर्गत एसीपी (Regular Service for grant of benefit under the ACP scheme shall be counted for the date of post in direct entry grade as the regular basis on direct recruitment) स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस मामले में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर आदेश दिनांक 12.11.1992 के द्वारा की गई, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.1992 को कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर आदेश दिनांक 29.09.1997 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.98 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.98 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88) वित नियम/2008 दिनांक 05.07.13 से

प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय (9, 18, 27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है । अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित विभाग के आदेश क्रमांक प.18(88) वित (नियम)/2008 दिनांक 05.07.13 के अनुसार को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.13 से ग्रेड पे 4200/– में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर ग्रेड–पे 4800/– में वेतन देय है, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1995 में दिनांक 01.07.98 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में दिनांक 01.01.06 से 30.06.13 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया, जिसको आदेश दिनांक 05.07.13 से (प्रभावी दिनांक 01.07.13) ग्रेड पे 3600/– निर्धारित किया गया है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानों के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07.13 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है। अतः अपीलार्थी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमान सामग्री का गंभीरतापूर्वक कर मनन किया।

7. हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3500 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक,

नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहत (withdraw) नहीं किए जाएं।
9. उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर 5400 ग्रेड–पे में फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे।
10. मूल आदेश अपील संख्या 1861/2022 भरत सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अमीलों को पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जाये।
11. आदेश आज दिनांक 26.07.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)